बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 17.10.2017 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में हुई SLBC SUB COMMITTEE ON INDUSTRY की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- विवरणी संलग्न।

(1). **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना :-** निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा सभी बैंकों को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित योजना का उद्देश्य प्रथम पीढ़ी के युवा उद्यमी, जिनका पूँजी निवेश 5.00 लाख से 1.00 करोड़ रूपया है, को ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्त्ति एवं भारत सरकार की ग्रेडिट गारंटी योजना के शुल्क की प्रतिपूर्त्ति किया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग विभाग द्वारा पी0एम0ए0 का पैनल तैयार कर आवश्यकतानुसार आवेदकों को सपोर्ट करने की योजना प्रस्तावित है। निदेशक, तकनीकी विकास ने बैंक प्रतिनिधियों से इस संबंध में सुझाव की अपेक्षा की।

एस0एल0बी0सी0 के संयोजक द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा स्टैण्ड-अप-इंडिया अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक कुछ उद्यमी अपना मार्जिन मनी जमा करने में असमर्थ पाए जाते है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इन उद्यमियों को यदि मार्जिन मनी सपोर्ट करती है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा स्टैण्ड-अप-इंडिया अंतर्गत आच्छादित होने वाले उद्यमियों को काफी लाभ होगा तथा इस सुविधा से प्रस्तावित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। संयोजक एस0एल0बी0सी0 द्वारा 5.00 लाख 1.00 करोड़ तक के उद्यमियों को पूँजीगत अनुदान भी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

(अनुपालन तक0नि0उद्योग विभाग)

(2). **PMEGP :-**

पी0एम0ई0जी0पी0, एम0आई0एस0 पोर्टल से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के भौतिक लक्ष्य 2850 एवं वित्तीय (मार्जिन मनी) लक्ष्य 5653.00 लाख के विरूद्ध अबतक 11053 आवेदनो को DLTFC से चयनित कराकर विभिन्न बैंको में भेजा गया है। इनमे कुल मार्जिन मनी राशि 34399.08 लाख है। बैंको द्वारा अबतक मात्र 478 ऋण आवेदनों की स्वीकृति बैंको द्वारा की गई है, जिसका मार्जिन मनी राशि 1190.53 लाख है। प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है।

प्रधान सचिव उद्योग विभाग द्वारा बैंकवार प्रगति की समीक्षा की गयी। बैंको को ऋण स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन SLBC एवं सभी बैंक)

भारत सरकार से प्राप्त राज्य का संशोधित भौतिक लक्ष्य 7125 एवं वित्तीय (मार्जिन मनी) लक्ष्य 14132.82 लाख है। संयोजक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति को पी0एम0ई0जी0पी0 अंतर्गत प्राप्त संशोधित लक्ष्य का बैंकवार आवंटन करने का निदेश दिया गया। ग्रामीण बैंको के गत बर्षो की असंतोषजनक उपलब्धि के कारण अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित नही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन SLBC)

सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र से सभी बैंको अवगत कराया गया एवं पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराया गया। विदित हो कि पत्र राज्य के अंतर्गत पी0एम0ई0जी0पी0 की असंतोषजनक प्रगति से संबंधित है।

(अनुपालन SLBC एवं सभी बैंक)

पी0एम0ई0जी0पी0 अतंर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लंबित ऋण आवेदन पत्रो को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृति एवं वितरित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन सभी बैंक)

कृ0प0उ0

(3). **स्टैण्ड–अप इंडिया योजनाः–** SLBC से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अबतक राज्य के कुल 6339 बैंक शाखाओं में से मात्र 298 बैंक शाखाओं द्वारा इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को ऋण दिया गया है। संयोजक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति एवं बैंको द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत प्रयाप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

आवेदन पत्र सृजित करने हेतु निदेशक तकनीकी विकास निदेशालय को उद्योग विभाग के ***"अपना बॉस खुद बने"*** पोर्टल पर स्टैण्ड–अप इंडिया का लिंक देने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन तकनीकी विकास निदेशालय, सभी बैंक)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक 4786 पटना,दिनांक 14.11.17

सं0सं0-04तक0/उद्यमी योजना-175/2017

प्रतिलिपि :– संबंधित सभी पदाधिकारियों/बैकर्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों/बैकर्स के ई0मेल आई0 डी0 पर भेजने हेतु प्रषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

(2) आई0 टी0 प्रबंधक उद्योग विभाग

RANJAN KUMAR(SATISH SIR)420